

## Special Terms and Conditions for disposal of 27 Tree

### आहर्ताएँ: शर्तें/

1. यह निविदा, निविदादाता द्वारा निविदा कार्य आवंटन की तिथि से 20 दिन के भीतर निष्पादित की जायेगी। कार्य निष्पादन की अवधि निविदा जारीकर्ता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इस सम्बंध में निविदा जारीकर्ता का निर्णय मान्य होगा।
2. पेड़ों की कटाई ढुलाई में लगाये जाने वाले मजदूरों की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी / लदाई / लगाये जाने वाले (ढुलाई कार्य में/लदाई/कटाई) निविदादाता की होगी। निविदादाता इसके लिये मजदूरों का जीवन बीमा/लेवर लाइसेंस, पी०एफ०, व अन्य विधिक नियमों का अनुपालन अपने खर्च पर करवायेगा तथा कार्य प्रारम्भ करने से पहले करवाये गये बीमा लेवर लाइसेंस/ का प्रमाण - पत्र सम्पदा विभाग में प्रस्तुत करेगा।
3. उच्चतम दर देन वाले निविदादाता की निविदा पर ही कार्य आवंटन हेतु विचार किया जायेगा।
4. कार्य आवंटन हेतु सम्पदा विभाग द्वारा दी गई समय अवधि के अन्दर निविदादाता द्वारा दी गई दर तथा उस पर जी एस टी की धनराशि बीएचईएल के रोकड़ अनुभाग में जमा कराकर प्राप्त रसीद की मूल प्रति सम्पदा विभाग में जमा करानी होगी।
5. यह माना जायेगा कि निविदादाता ने विक्रय किये जाने वाले पेड़ों को भली भांति देखकर अपनी-संतुष्टी के पश्चात ही निविदा में दर भरी है।
6. पेड़ों को काटने से पहले निविदादाता सम्पदा विभाग द्वारा जारी पत्र की सहायता से वन विभाग से पेड़ों को काटने के लिये अनुमति पत्र प्राप्त करेगा। पेड़ों की कटाई का कार्य इस कार्यालय के प्रतिनिधि की निगरानी में करना होगा।
7. पेड़ों को काटने से पहले निविदादाता निकासी परमिट स्वयं / ठेकेदार को आवश्यक अनुमति / अपनी जिम्मेदारी पर वन विभाग से प्राप्त करनी होगी तथा समस्त प्रकार के कर की अदायगी ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
8. निविदादाता द्वारा कारखाना क्षेत्र से कटे हुये पेड़ों की लकड़ी ले जाने के लिये आवश्यक गेट पास सम्पदा विभाग के अधिकारी से प्राप्त करना होगा तथा सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक ही सम्पदा विभाग द्वारा गेट पास दिया जायेगा।
9. विक्रय किये जाने वाले पेड़ों के अलावा अन्य पेड़ों वन सम्पदा को हानि पहुँचाने की दशा / में निविदादाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा हानि पहुँचाई गई सम्पत्ति का मुआवजा हर्जाना निविदादाता को देना होगा। /इस सम्बंध में सम्पदा विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।
10. उपरोक्त शर्तों आहर्ताओं का पालने न करने पर आवंटित कार्य को निरस्त करने का अधिकार / निविदा जारीकर्ता को होगा, जिसके अन्तर्गत अन्य कार्यवाही के साथ साथ धरोहर राशि भी-जब्त की जा सकती है।
11. बिना कोई कारण बताये निविदा को अस्वीकृत निरस्त करने का अधिकार प्रभारी / , सम्पदा विभाग, रानीपुर, हरिद्वार को होगा।

12. उपरोक्त कार्य के संचालन में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में बीएचईएल प्रशासन द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा ।

13. निविदा पूर्ण करने की चरण बंद प्रक्रिया निम्नवत है:-

क्रम संख्या	पेड़ काटने का कार्य	काटे गये पेड़ों की ढुलाई का कार्य	साईट सफाई का कार्य
1.	निविदा आबंटित किये जाने के पश्चात प्रथम 10 दिन तक	निविदा आबंटित किये जाने के पश्चात प्रथम 15 दिन तक	निविदा आबंटित किये जाने के पश्चात प्रथम 20 दिन तक

14. पेड़ों की सूची निम्नवत है:-

क्र. सं.	पेड़ की प्रजाति / नाम	व्यास वर्ग डेसीमीटर में लगभग	संख्या
1	सागौन	2-3	01
02		3-4	01
3		4-5	03
4		5-6	01
5	नीम	2-3	01
6		3-4	03
7		4-5	01
8	तुन	2-3	01
9	सेमल	9-10	02
10	सीरस	<b>5-6</b>	<b>02</b>
11	मरमरी	3-4	03
12		4-5	01
13		5-6	01
14		6-7	01
15	कोकाट	3-4	01
16	हल्दू	2-3	01
17	अशोक	<b>1-2</b>	<b>01</b>
18		2-3	01
19	यूकेलिप्टस	65-70	01
27	<b>कुल पेड़ों की संख्या</b>		<b>27</b>